<u>दिनांक 05.08.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण प्रदुमन सिंह व प्रभात सिंह जिला कारागार के उपस्थित आये। अभियुक्त मनीष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्तगण सूर्यकान्त, साधना व गीता देवी की हाजिरी जरिये प्रार्थनापत्र मांफ की गयी। अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र 9 ख से पी०डब्लू०-1 पवन कुमार सिहं की चिकित्सीय रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल की गयी है। पी०डब्लू०-1 पवन कुमार की प्रतिपरीक्षा अंकित कराकर पूर्ण की गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 8 ख पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र 8 ख यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि इस वाद से संबंधित क्रास केस की पत्रावली सरकार बनाम पवन सिंह आदि मु०अ०सं०-328/2024 थाना गीडा, जिला गोरखपुर जे०एम०-तृतीय न्यायालय में लंबित है। अतः उक्त मुकदमे को प्रस्तुत मामले का क्रास केस होना कहते हुए तलब किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण प्रार्थना पत्र 8 ख के माध्यम से न्यायालय जे०एम०–तृतीय में लंबित पत्रावली सरकार बनाम पवन सिंह आदि मु०अ०सं०–328/2024 थाना गीडा, जिला गोरखपुर को प्रस्तुत मामले का क्रास केस कहते हुए प्रस्तुत मामले के साथ उसका परीक्षण करवाना चाहते है। अभियुक्तगण का मामला यदि जे०एम०–तृतीय न्यायालय में लंबित है तो उनको उक्त न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी बात उठानी चाहिए थी। चूंकि उक्त पत्रावली इस न्यायालय में लंबित नहीं है अतः यह न्यायालय पत्रावली के इस न्यायालय में लंबित रहे बिना यह निष्कर्ष नहीं दे सकता है कि जे०एम०–तृतीय न्यायालय में लंबित मामला प्रस्तुत मामले का क्रास केस है अथवा नहीं। इस न्यायालय को बाद में निर्णय के स्तर पर क्रास केस के बिन्दू पर अपना निष्कर्ष देना है। अतः यह न्यायालय इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं दे सकता कि जे०एम०–तृतीय न्यायालय में लंबित मामला प्रस्तुत मामले का क्रास केस है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अवर न्यायालय से पत्रावली सत्र न्यायालय को Commit करने के पश्चात, सत्र न्यायालय द्वारा अन्तरित किये जाने पर ही पत्रावली में सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। अभियुक्तगण क्रास केस के संबंध में अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर बल देने के बजाये इस न्यायालय से अवर न्यायालय को पत्रावली सेशन सुपुर्द (Commit) कराने का आदेश कराना चाहते है। यदि मु०अ०सं०–328/2024 थाना गीडा प्रस्तुत मामले का क्रास केस है तो अभियुक्तगण को अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रस्तुत मामले में पत्रावली में अभियोजन का साक्ष्य दर्ज किया जा रहा है। मामले के समस्थ तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 8 ख निरस्त किया जाता है।

पत्रावली शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 19.08.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-1, गोरखपुर।